भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2442

मंगलवार, 10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

आर्थिक मंदी का प्रभाव

2442. श्री देवेश चन्द्र ठाकुरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र पर वर्तमान आर्थिक मंदी के प्रभाव का आकलन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मंदी के कारण बंद हुई औद्योगिक इकाइयों की संख्या और समाप्त हुए रोजगार के अवसरों की संख्या क्या है;
(ग) उक्त मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या अवसंरचना जैसे क्षेत्र अभी भी मंदी की चपेट में हैं तथा अभी तक उबर नहीं पाए हैं;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (च): सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, वर्ष 2011-12 की कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में 6.0 प्रतिशत बढ़ा, जो दर्शाता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था में कोई मंदी नहीं है। द्वितीयक क्षेत्र, जिसमें विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं और निर्माण शामिल है, वर्ष 2011-12 की कीमतों पर वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में 6.1 प्रतिशत बढ़ा। अर्थव्यवस्था में सकल स्थायी पूंजी निर्माण, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अवसंरचना क्षेत्रों में पूंजी निर्माण शामिल है, वर्ष 2011-12 की कीमतों पर वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में 6.4 प्रतिशत बढ़ा।

सरकार द्वारा अवसंरचना के निर्माण पर बल दिए जाने और क्रमिक राजकोषीय सुदृढ़ीकरण से आर्थिक विकास और समग्र आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। विनिर्माण, रोजगार, कौशल विकास, नवप्रयोग, कृषि क्षेत्र में लचीलापन, समावेशी मानव संसाधन विकास, ऊर्जा संबंधी उचित परिवर्तन माध्यम तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता पर जोर दिए जाने से सतत विकास को बल मिलता है। उद्योग मुख्य रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, केंद्र सरकार देशभर में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से उचित नीतिगत कार्यकलापों के जरिए देश के समग्र

औद्योगिक विकास के लिए एक सक्षम ईकोसिस्टम उपलब्ध कराती है। सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय औद्योगिक कारिडोर कार्यक्रम, उत्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, ईज आफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देने और अनुपालन बोझ को कम करने, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस), भारत औद्योगिक भूमि बैंक, परियोजना मानिटरिंग समूह (पीएमजी), एफडीआई नीति के उदारीकरण, भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) स्कीम आदि जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। निवेश में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) के रूप में एक व्यवस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है।

*****